

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

- 1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०एच०एम०,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/डाटा इन्ट्री आउटसोर्सिंग/2016-17/90/6530-2

दिनांक: 21-10-16

विषय :राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु ब्लॉक एवं जनपद स्तर से एम०सी०टी०एस०/एच०एम०आई०एस० पोर्टल पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाभार्थियों के शत-प्रतिशत सर्विस अपडेशन हेतु जनपदों को धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार के निर्देशानुसार एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर ऑनलाइन शत-प्रतिशत डाटा फीडिंग/अपडेशन का कार्य ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर शतप्रतिशत सर्विस अपडेशन का कार्य किया जाना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० 2016-17 (ROP F.No. 10(15)/2016-NRHM-I Dated 08.08.2016) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 87वीं बैठक दिनांक 24.08.2016 के एजेण्डा मद संख्या 87.56 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन प्लैक्सीपूल में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० के अन्तर्गत एफ०एम०आर० कोड संख्या बी१५.३.१.३.१ "HR and Infrastructure for 100% service updatation on HMIS/MCTS Portal" हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

"Approved for outsourcing data entry at Block and District level by hiring external agency. Outsourcing should be based on competitive bidding following Government protocols. Payment norms should be worked out on per data entry basis and payment should be done accordingly. State must ensure 100% facility based reporting on HMIS portal and improvement in the registration and service delivery updatation status of the beneficiary on MCTS portal. State should ensure that payment is made only once i.e., either to external agency or to ANM (for data updatation through USSD) for updatation of data in any field of any beneficiary".

अतः उपरोक्त निर्देशानुसार ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर डाटा इन्ट्री की आउटसोर्सिंग की जाए। आउटसोर्सिंग सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक दर (कम्पेटिटिव बिडिंग) के माध्यम से की जाए। डाटा इन्ट्री की आउटसोर्सिंग उन्ही स्वास्थ्य इकाईयों हेतु की जाए जहाँ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध नहीं हैं जैसे कि-

- नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र,
- जिला चिकित्सालय जहाँ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर पद स्वीकृत नहीं हैं अथवा पद रिक्त है एवं
- ब्लॉक स्तरीय इकाईयों पर जहाँ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद रिक्त है।

आउटसोर्सिंग निम्न कार्यो हेतु की जा सकती है:-

- एम०सी०टी०एस०/आर०सी०एच० के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी का पंजीकरण एवं सभी सर्विसेस को पोर्टल पर अपडेट किया जाना।
- शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं यू०एच०एन०डी० सत्रों से सम्बन्धित एम०सी०टी०एस०/आर०सी०एच० एवं एच०एम०आई०एस० के डाटा की रिपोर्टिंग।

- नवविकसित आर०सी०एच० पोर्टल को लागू करने हेतु पहलीबार विलेज प्रोफाइल एवं लक्ष्य दंपतियों के डाटा की फीडिंग हेतु आउटसोर्सिंग।

एक लाभार्थी की डाटा इन्ट्री हेतु केवल एक ही बार भुगतान किया जाए। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी है की किसी भी दशा में आउटसोर्सिंग किये गये रिकार्ड की इन्ट्री/अपडेशन हेतु ए०एन०एम०(यू०एस०एस०डी० द्वारा डाटा अपडेशन) अथवा ऑपरेटर को अलग से भुगतान न किया जाये अन्यथा यह वित्तीय अनियमितता का विषय होगा। गर्भवती महिला का पंजीकरण एवं सर्विसेस अपडेशन हेतु चारो ए०एन०सी० सेवाएं, खून की जाँच, जटिलता, प्रसव, डिलेवरी आउटकम, पी०एन०सी० का अपडेशन एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर शत-प्रतिशत किया जाए। बच्चे का पंजीकरण एवं सर्विसेस अपडेशन हेतु बी०सी०जी० सें मीजल्स एवं विटामिन-ए की सभी सर्विसेस दर्ज कर पूर्ण टीकाकरण का अपडेशन एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर शत-प्रतिशत किया जाए।

FMR Code B.15.3.1.3.1 (HR and Infrastructure for 100% service updation on HMIS/MCTS Portal)

S.No	District	Target for FY 2016-17		% Achievement in FY 15-16 (as per last year achievement)		% of Remaining Data Entry on MCTS portal to be covered on outsourcing basis in FY 2016-17			Amount in Rs.
		Expected PW in FY 2016-17	Expected Child birth in FY 2016-17	PW data to be Covered in FY 16-17 (i.e. 60%) in (FY 2015-16)	Child data to be Covered in FY 16-17 (i.e. 50% in FY 2015-16)	40% of PW data to be outsourced by the districts	50% of Child data to be outsourced by the districts	Total beneficiaries to be captured on MCTS portal (@ Rs 5.00/beneficiary)	
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7	Col.8	Col.9= (Col.7 + Col.8)	Col.10= Col.9X5.00/-
1	Agra	145151	70632	87090	35316	58060	35316	93376	466880.00
2	Aligarh	121727	44474	73036	22237	48690	22237	70927	354635.00
3	Allahabad	197470	130857	118481	65428	78987	65428	144415	722075.00
4	Ambedkar Nagar	79479	105127	47687	52563	31791	52563	84354	421770.00
5	Amethi	60036	71383	36021	35691	24014	35691	59705	298525.00
6	Amroha (JP Nagar)	55356	49056	33213	24527	22142	24527	46669	233345.00
7	Auraiya	60925	45188	36554	22594	24369	22594	46963	234815.00
8	Azamgarh	45468	75335	27281	37667	18187	37667	55854	279270.00
9	Baghpat	152961	25070	91776	12534	61184	12534	73718	368590.00
10	Bahraich	105774	70552	63464	35275	42309	35275	77584	387920.00
11	Ballia	43145	55877	25886	27938	17257	27938	45195	225975.00
12	Balrampur	115247	96680	69148	48339	46098	48339	94437	472185.00
13	Banda	106810	98650	64086	49324	42724	49324	92048	460240.00
14	Barabanki	71207	51367	42724	25683	28482	25683	54165	270825.00
15	Bareilly	59626	105355	35775	52677	23850	52677	76527	382635.00
16	Basti	107950	90819	64770	45409	43180	45409	88589	442945.00
17	Bijnor	147951	52617	88770	26308	59180	26308	85488	427440.00
18	Budaun	81544	170541	48926	85270	32617	85270	117887	589435.00
19	Bulandshahar	51497	72738	30898	36368	20598	36368	56966	284830.00
20	Chandauli	122062	47446	73236	23722	48824	23722	72546	362730.00
21	Chitrakoot	115918	89797	69550	44898	46367	44898	91265	456325.00
22	Deoria	64700	45695	38819	22847	25879	22847	48726	243630.00
23	Etah	32822	63102	19693	31550	13128	31550	44678	223390.00
24	Etawah	102668	92246	61600	46123	41067	46123	87190	435950.00
25	Faizabad	58352	76705	35011	38352	23340	38352	61692	308460.00
26	Farukhabad	52324	103670	31394	51834	20929	51834	72763	363815.00
27	Fatehpur	81786	93228	49071	46614	32714	46614	79328	396640.00
28	Firozabad	62542	61677	37525	30838	25016	30838	55854	279270.00
29	G.B. Nagar	87231	131301	52338	65650	34892	65650	100542	502710.00
30	Ghaziabad	82726	53299	49635	26649	33090	26649	59739	298695.00
31	Ghazipur	55490	89011	33293	44505	22195	44505	66700	333500.00
32	Gonda	111946	47810	67167	23904	44778	23904	68682	343410.00
33	Gorakhpur	120031	125357	72018	62678	48012	62678	110690	553450.00
34	Hamirpur	113694	128088	68216	64043	45477	64043	109520	547600.00
35	Hapur	146990	83485	88193	41742	58795	41742	100537	502685.00
36	Hardoi	36581	31593	21948	15796	14632	15796	30428	152140.00
37	Hathras	40357	128037	24214	64018	16142	64018	80160	400800.00
38	Jalaun	42504	41722	25502	20861	17001	20861	37862	189310.00
39	Jaunpur	135561	105415	81336	52707	54224	52707	106931	534655.00
40	Jhansi	51876	101894	31125	50947	20750	50947	71697	358485.00
41	Kannauj	148307	70423	88984	35211	59322	35211	94533	472665.00
42	Kanpur Dehat	66291	39269	39774	19634	26516	19634	46150	230750.00

S.No	District	Target for FY 2016-17		% Achievement in FY 15-16 (as per last year achievement)		% of Remaining Data Entry on MCTS portal to be covered on outsourcing basis in FY 2016-17			Amount in Rs.
		Expected PW in FY 2016-17	Expected Child birth in FY 2016-17	PW data to be Covered in FY 16-17 (i.e. 60%) in (FY 2015-16)	Child data to be Covered in FY 16-17 (i.e. 50% in FY 2015-16)	40% of PW data to be outsourced by the districts	50% of Child data to be outsourced by the districts	Total beneficiaries to be captured on MCTS portal (@ Rs 5.00/ beneficiary)	
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7	Col.8	Col.9= (Col.7 + Col.8)	Col.10= Col.9X5.00/-
43	Kanpur Nagar	54936	85914	32961	42957	21974	42957	64931	324655.00
44	Kasganj	59476	44803	35685	22401	23790	22401	46191	230955.00
45	Kaushambi	151517	58295	90910	29147	60606	29147	89753	448765.00
46	Kushi Nagar	52911	100112	31746	50056	21164	50056	71220	356100.00
47	Lakhimpur Kheri	47651	91351	28590	45675	19060	45675	64735	323675.00
48	Lalitpur	117983	98190	70789	49094	47193	49094	96287	481435.00
49	Lucknow	132985	73070	79791	36535	53194	36535	89729	448645.00
50	Maharajganj	88816	68641	53289	34320	35526	34320	69846	349230.00
51	Mahoba	152032	99130	91219	49565	60812	49565	110377	551885.00
52	Mainpuri	29027	28346	17416	14173	11610	14173	25783	128915.00
53	Mathura	88310	114852	52986	57426	35324	57426	92750	463750.00
54	MAU	61204	52859	36722	26429	24481	26429	50910	254550.00
55	Meerut	84222	88668	50533	44334	33688	44334	78022	390110.00
56	Mirzapur	73066	76268	43839	38133	29226	38133	67359	336795.00
57	Moradabad	114224	61496	68534	30747	45689	30747	76436	382180.00
58	Muzaffar Nagar	82652	47923	49591	23961	33060	23961	57021	285105.00
59	Pilibhit	103974	132103	62384	66051	41589	66051	107640	538200.00
60	Pratapgarh	67501	99532	40500	49765	27000	49765	76765	383825.00
61	Raebareli	105157	57253	63094	28626	42062	28626	70688	353440.00
62	Rampur	96665	66828	57999	33413	38666	33413	72079	360395.00
63	Saharanpur	77381	51848	46428	25923	30952	25923	56875	284375.00
64	Sambhal	114782	34854	68869	17426	45912	17426	63338	316690.00
65	Sant Kabir Nagar	71417	127778	42850	63888	28566	63888	92454	462270.00
66	S.R. Nagar (Bhadohi)	56801	51493	34080	25746	22720	25746	48466	242330.00
67	Shahjahanpur	99480	36708	59687	18354	39791	18354	58145	290725.00
68	Shamali	48311	71446	28986	35722	19324	35722	55046	275230.00
69	Shrawasti	36931	126946	22158	63472	14772	63472	78244	391220.00
70	Siddharth Nagar	84607	54013	50764	27006	33842	27006	60848	304240.00
71	Sitapur	148252	117076	88951	58538	59300	58538	117838	589190.00
72	Sonbhadra	61715	41153	37028	20576	24685	20576	45261	226305.00
73	Sultanpur	81693	50396	49015	25197	32677	25197	57874	289370.00
74	Unnao	103065	31895	61838	15947	41225	15947	57172	285860.00
75	Varanasi*	122007	37262	73203	18631	48802	18631	67433	334185.00
Total		6612837	5711087	3967663	2855505	2645091	2855505	5500596	27500000.00
₹0 2,75,00,000.00 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)									
* Amt. Rs. 2980 is deducted from District Varanasi because in ROP amount 270.00 Lac only is approved for FRM Code. B15.3.1.3.1									

अतः उपरोक्त दी गयी फांट के अनुसार "HR and Infrastructure for 100% service updation on HMIS/MCTS Portal" हेतु जनपदों को धनराशि ₹0 2,75,00,000.00 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) अवमुक्त की जा रही है। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.1.3.1 से किया जाना सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि

एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/डाटा इन्ट्री आउटसोर्सिंग/2016-17/90/

तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0 एवं महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(बी0के0 जैन)

महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0